कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-252 दिनांक: 27/8/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 30वी दिनांक 13-8-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 30वीं दिनांक 13-8-2002 प्रात:/~~सायं~~ 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 30वी बैठक दिनांक 13-8-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

(1.) विषय :- गुलाब बाडी गृ.नि.स.स. की योजना डॉक्टर्स कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नांकित सहित समिति से संशोधित मानचित्र लिया जावें।

1. सभी भूखण्डों के नम्बर अंकित हो।
2. जिन भूखण्डों में उपयोग एवं नाप नहीं दर्शाये गये है वे दर्शित किये जायें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 30वीं बैठक दिनांक 13-8-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार
2. योजना का नाम : गिरिज नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या पी.आर.एन.)कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और उपरोक्त योजना का अनुमोदन बीपीसी की 23वीं बैठक दिनांक 19-6-2002 में निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया-

1. उत्तर दिशा में खसरा बाउण्ड्री से बाहर भूखण्ड संख्या 17 का भाग आता है। इस भाग को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
2. उत्तर दिशा में प्रस्तावित 30' सड़क का कुछ भाग खसरा बाउण्ड्री से बाहर आता है तथा उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता जा रहा है जिसके मध्य से प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई कुछ बिन्दुओं पर कम उपलब्ध होती है जिसके संदर्भ में योजना संशोधित की जाकर स्वीकृत की जावे।
3. भूखण्ड संख्या 83 व 84 को पार्क क्षेत्र के अंतर्गत दिखाया जावे।
4. भूखण्ड संख्या 17,18,37,38,39 जो सुविधा क्षेत्र से लगे हुए है उनको भी सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे।

प्रार्थी ने बीपीसी की अनुपालना में संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया है जिसमें बीपीसी की शर्तों को तो माना गया है परन्तु प्रार्थी का यह

....2

कहना है कि इन शर्तों के लागू होने से पुन: आवासीय + व्यावसायिक 60% नहीं मिलता अपितु 58% मिलता है । अत: प्रार्थी ने योजना में सुझाये गये पार्क और फैसिलिटी क्षेत्र में से 10 फिट की लेन देते हुए 2% के बराबर भूखण्ड सृजित किये हैं ।

वाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन किया गया । चूंकि मौके पर 10% से कम निर्माण है । अत: अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदन भी लिया जाये ।

<u>कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।</u>

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 13.08.2002 को **सम्पन्न हुई बैठक** में **अध्यक्ष** के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गयेः-

1. शंकर भवन गृ.नि.स.स. की गोविन्द विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में ग्राम हाथोज, तहसील सांगानेर।
2. विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना सर्वोदय कालोनी के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त पर निम्न निर्णय लिया गया :-

1. शंकर भवन गृ.नि.स.स. की गोविन्द विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में ग्राम हाथोज, तहसील सांगानेर - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक .... में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना का सम्पूर्ण भाग हाईवे कंट्रोल बैल्ट में आ जाने के कारण योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की सर्वोदय कालोनी योजना के भूखण्ड संख्या 3, 5 व 6 को जोनल लेबल कमेटी के निर्णय के अनुसार सुविधा क्षेत्र में दर्शाया गा था। उक्त भूखण्डधारियों द्वारा उनके भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करवाये जाने हेतू आयुक्त, जविप्रा को निवेदन किया गया था। प्रकरण को संबंधित उपायुक्त/वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में संबंधित भूखण्डधारियों का पक्ष सुनने तक प्रकरण को स्थगित रखा जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 30वीं बैठक दिनांक 13-8-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार श्री नाथूलाल पुत्र श्री गोविन्द नारायण
2. योजना का नाम : शिवम् नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ग्राम जैयपुरा ख.नं. 383 से 388
4. सैक्टर नंबर : जोन सी-2

विषयः- निजी खातेदार श्री नाथूलाल पुत्र श्री गोविन्द नारायण को शिवम् नगर योजना अनुमोदन के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ योजना को संशोधन सहित अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया :-

1. योजना के दक्षिण की सडक की चौडाई ड्राफ्ट सेक्टर प्लान में 80 फीट निर्धारित थी। इस योजना के सामने प्राधिकरण की रामनगरिया योजना स्थित है जिसमें इस सडक की चौडाई निर्धारित करने के संबंध में पी.आर.सी. की बैठक दिनांक 12-3-01 में इस सडक की चौडाई 60-0" रखे जाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए इस योजना के दक्षिण की सडक की चौडाई 60-0" रखी जावे।

2. योजना में भू.सं. 65 से 69,63 व 81 में एल.टी. लाइन गुजरती है इसलिएइस एल.टी.लाइन को हटाने के पश्चात् ही इन भूखंडों का स्वीकृत किया जावे।

3. मास्टर विकास योजना 2011 में इस भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।

4. ब्लाक भू.सं. 82 से 95 के मध्य में स्थित फैसिलिटी एरिया के क्षेत्रफल को बढाया जावे तथा योजना में 60% आवासीय क्षेत्रफल करने हेतु भू.सं. 118 के उत्तर में प्रस्तावित फैसिलिटी एरिया में भूखंड सृजित किये जावें।

5. योजना मौके पर खाली है इसलिए संशोधन के पश्चात् स्वीकृति हेतु प्रकरण को अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 30वीं बैठक दिनांक 13-8-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

विषय:- श्री हरिनारायण मीणा के ख०नं० 239/1 ग्राम रामजानीपुरा के रूपान्तरण व 160-0" चौडी सडके के केन्द्र बिन्दु निर्धारण के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि इस सडक पर रेलवे ओवर ब्रिज प्रस्तावित है इसलिए ओवर ब्रिज के डिजायन के संबंध में जानकारी अतिरिक्त निदेशक (ADB) से जोन द्वारा लिए जाने के पश्चात प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 30वीं बैठक दिनांक 13-8-2002 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	श्री अशोक तंवर, विधायक	सदस्य
2.	श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य	सदस्य
3.	श्री रोहित कुमार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4.	श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व, जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
6.	श्री ओ.पी.यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर।	सदस्य
7.	श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
2. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
4. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
6. श्री भीमा राम चौधरी, उपायुक्त जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री एन.के. गुप्ता, उपायुक्त जोन पी.आर.एन.,जविप्रा,जयपुर।
8. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन डी-2, जविप्रा, जयपुर।
9. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-2, जविप्रा,जयपुर।
10. सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2, जविप्रा,जयपुर।
11. सहायक नगर नियोजक, जोन डी-2, जविप्रा,जयपुर।